

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2041/2023

URN: CMA / 3267U / 2023

1. Smt. Anjali W/o Late Sh. Somendra Kumar Sharma, Aged 34 Years
2. Kumari Prathistha D/o Late Sh. Somendra Kumar Sharma, Aged 9 Years, Through Natural And Mother Guardian Smt Anjali
3. Ramniwas S/o Sh. Bhuralal Sharma, Aged 59 Years
4. Smt. Prakash W/o Ramniwas Sharma, Aged 57 Years
All Are R/o Kanauj, Tehsil Kekri At Present R/o Byawar Road, Kekri, P.S. Kekri, Distt. Ajmer (Raj.)

----Claimants-Appellants

Versus

1. Sh. Vinod Kumar S/o Sh. Kailashchand Jangid, R/o Khati Mauhalla Sarwaad, P.S. Sarwaad, Distt. Ajmer (Driver & Registered Owner Car No. RJ-48-CA-0822)
2. National Insurance Company Limited Through Divisional Manager, Divisional Office, Katchari Road, Ajmer Having Policy No:- 35101031176140355768 And Issuing Office Ajmer Which Is Valid From 28.06.2017 - 27.06.2018 (Insured Vehicle Car No. RJ-48-CA-0822)

----Respondents-Non-Claimants

For Appellant(s)	:	Mr. Avinash Dhanju, Adv. for Mr. Rohit Khandelwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Avadesh Kumar Purohit, Adv. (for Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

02/07/2026

1. अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, संख्या-1, केकड़ी (अजमेर) (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-50/2018, श्रीमती अंजली व अन्य बनाम श्री विनोद

कुमार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक **16.05.2023** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में **सोमेन्द्र** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 92,20,000/- रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को **कुल 11,37,789/- रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 6.5 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि वक्त घटना मृतक श्री मिश्रीलाल दुबे महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी, अजमेर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत होकर प्रतिमाह 16,000/- रुपये वेतन प्राप्त करता था, जिसके संबंध में मृतक का वेतन प्रमाण पत्र भी पत्रावली पर पेश किया गया, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त वेतन प्रमाण पत्र पर विश्वास नहीं किया गया तथा मृतक की आय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 5,902/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग के स्थान पर 1/3 भाग की कटौती की जाकर त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कंपनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि वेतन रजिस्टर की प्रतियां प्रदर्श-35 लगायत प्रदर्श-47 में कांट-छांट हो रखी है, इस कारण उपरोक्त दस्तावेजों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त आधारों पर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि

किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया :—

● **Hasina Yasmin & Ors. Vs. National Insurance Co. Ltd. & Anr. [Special Leave Petition (C) No. 27285/2025]**
decided on 17.12.2025.

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 21.07.2017 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक **सोमेन्द्र** को श्री मिश्रीलाल दुबे महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, केकड़ी, अजमेर में व्याख्याता के पद पर नौकरी करना बताते हुए प्रतिमाह 16,000/— रुपये वेतन प्राप्त करना बताया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा मृतक की आय के संबंध में मृतक का श्री मिश्रीलाल दुबे महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, केकड़ी, अजमेर द्वारा जारी वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-13 तथा वेतन रजिस्टर की प्रतियां प्रदर्श-35 लगायत प्रदर्श-46 व कैश वाउचर फार्म की प्रति प्रदर्श-47 विद्वान अधिकरण के समक्ष पत्रावली पर पेश किया गया तथा गवाह ए.डब्ल्यू-2 बृजेश राठी जो कि उपरोक्त शिक्षण संस्थान में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था, के बयान भी लेखबद्ध करवाये गये हैं। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-13 पर इसलिए विश्वास नहीं किया गया कि उक्त वेतन मानदेय प्रमाण पत्र दुर्घटना के पश्चात् दिनांक 16.11.2017 को जारी किया गया है तथा वेतन संबंधी अन्य दस्तावेज प्रदर्श-35 लगायत प्रदर्श-46 में कांट-छांट हो रखी है, इस कारण उक्त दस्तावेजों पर विद्वान अधिकरण द्वारा विश्वास नहीं किया जाकर वक्त घटना मृतक को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मृतक की मासिक आय 5,902/— रुपये निर्धारित की गयी है।

7. अपीलार्थीगण द्वारा क्लेम याचिका के चरण संख्या-4, 5 व 6 में मृतक को वक्त श्री मिश्रीलाल दुबे महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, केकड़ी, अजमेर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत होकर प्रतिमाह 16,000/— रुपये मासिक वेतन प्राप्त करना बताया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा

मृतक का वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-13 व वेतन रजिस्टर की प्रतियां प्रदर्श-35 लगायत प्रदर्श-46 व कैश वाउचर की प्रति प्रदर्श-47 पत्रावली पर पेश की गयी है। मृतक के वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-13 में मृतक को 01 जुलाई, 2015 से उपरोक्त महाविद्यालय में कार्यरत होना बताया गया है तथा 16,000/- रुपये मासिक वेतन दिया जाना अंकित किया गया है।

8. इस संबंध में हमारा मानना यह है कि क्लेम याचिका दिनांक 06.02.2018 को पेश की गयी है। उसी दिन अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स ने यह बता दिया था कि मृतक का नियोक्ता कौन है, मृतक कहां काम करता है तथा कितनी आय अर्जित करता है। नियोक्ता द्वारा वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-13 श्री मिश्रीलाल दुबे महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, केकड़ी, अजमेर द्वारा जारी किया गया है, जिसमें मृतक को उक्त महाविद्यालय में व्याख्याता के पद पर दिनांक 01.07.2015 से कार्यरत होना बताया गया है तथा उक्त वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-13 के संबंध में गवाह ए.डब्ल्यू-2 बृजेश राठी न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने बयान में यह कथन किया है कि सोमेन्द्र शर्मा उक्त महाविद्यालय में प्रवक्ता (व्याख्याता) के पद पर कार्य करता था, जिसे प्रतिमाह 16,000/- रुपये वेतन दिया जाता था। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण, जिनमें बीमा कम्पनी भी शामिल है, के पास पर्याप्त अवसर था कि वे इस बात के तथ्यों की जानकारी (वेरिफाई) करते कि मृतक श्री मिश्रीलाल दुबे महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, केकड़ी, अजमेर में कार्य करता था अथवा नहीं, क्या कार्य करता था व उसे कितना वेतन मिलता था या क्लेम याचिका में आजीविका व आय के संबंध में वर्णित तथ्यों के खण्डन में प्रत्यर्थीगण कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते थे, किन्तु इस संबंध में प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी द्वारा खण्डन में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, जिससे कि मृतक के व्यवसाय व आय के संबंध में किये गये अभिवचनों का साक्ष्य में खण्डन होता हो। इसके अतिरिक्त इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Rajwati @ Rajjo & Ors. Vs. United India Insurance Company Ltd. & Ors.** reported in **2022 (10) WLC 178 (SC)** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि :-

"19. It is well settled that Motor Vehicles Act, 1988 is a beneficial piece of legislation and as such, while dealing with compensation cases,

once the actual occurrence of the accident has been established, the Tribunal's role would be to award just and fair compensation. As held by this Court in Sunita (Supra) and Kusum Lata (Supra), strict rules of evidence as applicable in a criminal trial, are not applicable in motor accident compensation cases, i.e., to say, "the standard of proof to be borne in mind must be of preponderance of probability and not the strict standard of proof beyond all reasonable doubt which is followed in criminal cases".

20. In view of the above, we do not agree with the view taken by the High Court while rejecting the salary certificate (Exhibit 19) and pay slip (Exhibit 20) of the deceased merely on the ground that the person issuing the two aforementioned documents was not examined before the Learned Tribunal. The said documents are conclusive proof of the income of the deceased and were also corroborated by the statements of the deceased's wife (Appellant No. 1 herein) and his co-workers. As such, the High Court was not justified in assessing the income of the deceased at Rs.4,836/- per month on the basis of minimum wages fixed by the State at the relevant time. Resultantly, we affirm the findings of the Learned Tribunal so far as they relate to assessing the deceased's income at Rs.11,225/- per month on the basis of aforementioned two documents. Annual income of the deceased, therefore, amounts to, Rs.11,225/- x 12 = Rs.1,34,700/-."

9. ऐसी स्थिति में हम **राजवती उर्फ रज्जो (उपरोक्त)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए इस मामले में वक्त घटना मृतक की आय उसके वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-13 के आधार पर निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। मृतक के वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-13 में मृतक की मासिक आय 16,000/- रुपये दर्शायी गयी है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय, वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-13 पर विश्वास करते हुए वक्त घटना मृतक की आय 16,000/- रुपये मासिक निर्धारित किया जाना उचित समझता है।

10. क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 32 वर्ष आयु का होना बताया गया है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा भी वक्त घटना मृतक की आयु 32 वर्ष

निर्धारित की गयी है। जहां तक मृतक की निर्धारित मासिक आय में भविष्य वृद्धि किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680 के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :—

"61(iv). In case the deceased was self-employed or on a fixed salary, an addition of 40% of the established income should be the warrant where the deceased was below the age of 40 years. An addition of 25% where the deceased was between the age of 40 to 50 years and 10% where the deceased was between the age of 50 to 60 years should be regarded as the necessary method of computation. The established income means the income minus the tax component."

11. चूंकि वक्त घटना मृतक 32 वर्ष आयु का निजी क्षेत्र में कार्यरत वेतन भोगी था। ऐसी स्थिति में हम, प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वक्त घटना मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया जाना उचित समझते हैं। तदनुसार 16,000/— रुपये का 40 प्रतिशत 6,400/— रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 22,400/— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

12. वक्त घटना मृतक पर कुल 04 आश्रित बताए गये हैं, जिनमें अपीलार्थी संख्या-1 मृतक की पत्नी, अपीलार्थी संख्या-2 मृतक की पुत्री तथा अपीलार्थी संख्या-3 व 4 मृतक के पिता व माता हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के पिता को वक्त घटना मृतक पर आश्रित नहीं मानते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती की गई है, जबकि मृतक के पिता को भी मृतक पर आश्रित माना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में वक्त घटना मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार 22,400/— रुपये का 1/4 भाग 5,600/— रुपये होता

है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 16,800/- रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 32 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121 तथा प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 16 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है।

13. तदनुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 16,800/- रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $16,800 \times 12 \times 16 = 32,25,600/-$ रुपये होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा समस्त अपीलार्थीगण को एकमुश्त 40,000/- रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780 व अन्य न्यायिक दृष्टांत मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहलू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130 के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/- रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

15. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में, अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि के मद में दी जाने वाली निर्धारित राशि में प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी किये जाने का आदेश दिया गया है। इसलिए इस मामले में भी उक्त मदों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे।

16. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2017 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व नानू राम उर्फ चुहलू राम (उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की

तिथि को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या-1 को “स्पाउस कंसोर्टियम” की मद में 40,000/- रुपये तथा मृतक की पुत्री अपीलार्थी संख्या-2 को “पैरेण्टल कंसोर्टियम” की मद में 40,000/- रुपये तथा मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या-3 व 4 को “फिलियल कंसोर्टियम” की मद में प्रत्येक को 40,000/- रुपये (कुल 1,60,000/- रुपये) की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

17. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000/- रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 15,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है जो **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है, जिनमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

18. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की मृत्यु पूर्व उसके इलाज पर व्यय की गयी राशि के मद में 10,151/- रुपये की राशि पृथक से अपीलार्थीगण को दिलवाई गयी है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

19. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	32,25,600 /-
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 1,60,000 /-
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000 /-
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000 /-
5.	इलाज के दौरान व्यय हुई राशि के मद में	10,151 /-
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		34,25,751 /-
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (-)		11,37,789 /-
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		22,87,962 /-

20. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **11,37,789/- रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **34,25,751/- रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की

गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

21. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
22. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख, संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।
23. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।
24. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J